यतीमों की किफ़ालत (परवरिश)

क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में

तालीफ़
मौलाना मुह़म्मद अ़ामिर सिद्दीक़ी नदवी
अध्यक्ष क़िस्मुल् मशारीअ़, जमअ़ीयतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह नूरी अल् ख़ैरिया (कोयत)

अनुवादक
मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारुक़ी नदवी

जमअ़ीयत पयामे अम्न,
नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ,२० (यू०पी०) इण्डिया

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नाम- यतीमों की किफ़ालत (परवरिश) (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)
लेखक- मौलाना मुह़म्मद आमिर नदवी सिद्दीक़ी
रईस क़िस्मुल् मशारीअ़ जमअ़ीयतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह नूरी अल् ख़ैरिया (कोयत)
अनुवादक- मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
संस्करण हिन्दी- प्रथम
पुस्तक संख्या- 2000
वर्ष- 2009
मूल्य- 20 रू०
कम्पोज़िंग- इरफ़ान अह़मद
प्रकाशक- जमअ़ीयत पयामे अम्न, नदवा रोड डालीगंज, लखनऊ

Writer Maulana Mohd Amir Nadwi Siddiqui
Translator Mufti Mohd Sarwar Farooqui Nadwi
S. No. 2000
Publisher. Jamiat Payam-e-Amn
Nadwa Road, Daliganj, Lucknow, U.P. (INDIA)
Website. www.islamicjpamn.com
Mobile– 0091– 9919042879, 9839126436
Phone No. 0091–0522–2740942– Phone & Fax– 0522–2741906
E–Mail– jpa_lko@yahoo.com, siddiquilko@yahoo.com

मिलने के पते

१. जामिया दारे अरक़म मुह़म्मदपुर गौंती, फ़तेह़पुर
२. मकतबः नदविया, नदवा (लखनऊ)
३. मकतबः अशरफ़िया, मुह़म्मद अ़ली रोड (बम्बई)
४. मकतबः अल् फ़ुरक़ान, नज़ीराबाद (लखनऊ)
५. मकतबः अलूहसनात (दिल्ली)
६. फ़रीद बुक डिपो (दिल्ली)

विषय सूची

विषय **पृष्ठ सं०**

दो शब्द 4
प्रस्तावना 6
यतीम के परवरिश की अहमियत 8
यतीम का अर्थ 8
तन्ज़ीमों और इदारों में यतीम की परिभाषा 10
कुर्आन में यतीम का हुक्म 10
यतीम का ज़िक्र अहादीस की रोशनी में 12
यतीम के निगरानी की फ़ज़ीलत 16
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यतीमी 24
इस्लाम में यतीम की परवरिश 27
इस्लाम में इन्सान का मक़ाम (स्तर) 27
इस्लामी समाज और आपसी मामलात 28
इस्लाम में एहसान का बदला 30
मुस्लिम समाज 31
यतीम की परवरिश के फ़ायदे 33

दो शब्द

इस्लाम ने इन्सानी ज़िन्दगी के तमाम शोअ़बों से सम्बन्धित हिदायात व तअ़लीमात और उसूल बयान फ़रमाए हैं, अच्छे कामों पर अज्र व सवाब के मिलने की ख़बर दी है और उन के करने की तर्ग़ीब दी है और बुरे कामों पर सज़ा का एलान किया है। इस्लामी ज़िन्दगी के शोअ़बे में एक शोअ़बा यतीमों का भी है, जिस के बारे में मुकम्मल हिदायात दी गई हैं जिस को इस्लामी ज़िन्दगी में एक अहम मक़ाम ह़ासिल है, बल्कि उस के हुक़ूक़ व फ़रायज़ की अदाएगी भी की गई है और यतीम के मामलात में दिलचस्पी रखने वाले और उस के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने वाले के लिए जन्नत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ होने की ख़ुशख़बरी दी गई है।

बाज़ मर्तबः यतीम के हुक़ूक़ और उस के निगरानी की फ़ज़ीलत व अहमियत मालूम न होने की वजह से और बाज़ मर्तबः वाक़्फ़ियत के बावजूद अपने मस्लिहत की वजह से समाज में यतीम को ज़ुल्म व ज़्यादती का भी शिकार होना पड़ जाता है और उसकी बेकसी, यतीमी और मिस्कीनी पर आसमान को भी रह़म आने लगता है।

इस सूरतेह़ाल को देखते हुए हमारे दोस्त **जनाब मौलाना मुह़म्मद आ़मिर सिद्दीक़ी नदवी (रईस क़िस्मुल् मशारीअ़ जमअ़ीयतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह नूरी अल् ख़ैरिया, कोयत)** व जनरल सेक्रेट्री मुह़म्मदिया एजुकेशनल एंड वेलफ़ेयर सोसाइटी, टोन्क राजस्थान ने यतीमों के सिल्सिले में ग़ौर व फ़िक्र किया और उन के मुतअ़ल्लिक़ एक रिसाला की शक्ल में अ़रबी में जमा कर दिया, मौलाना मौसूफ़ को जिस तरह़ मदारिस और अहले मदारिस से दिल्चस्पी और रिफ़ाही कामों से तअ़ल्लुक़ व हमदर्दी है, उस सिल्सिले में जो कोशिश कर सकते हैं और जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं उस में वह बुख़्ल नहीं करते, अल्लाह तआ़ला ने उन को अच्छा ज़ौक़, हुस्ने इन्तिज़ाम और हुस्ने अख़्लाक़ की दौलत से और

अमानत व दियानत दारी जैसी सिफ़ात से भी नवाज़ा है, यही वजह है कि वह "जमअ़ीयतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह नूरी ख़ैरिया कोयत" में एक तरक़्क़ी कर के जमअ़ीयत के प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट के हेड बन गये और जमअ़ीयत के ज़िम्मेदारान का आप ने भरपूर एतिमाद ह़ासिल कर लिया, जो किसी हिन्दुस्तानी के लिए ख़लीजी मुमालिक में एक बड़े फ़ख़्र की बात हो सकती है, जिस की वजह से अल्लाह तआ़ला ने दूसरे मुमालिक के साथ हिन्दुस्तान के सैकड़ों मदारिस के लिए आप की ज़ात को नफ़ा रिसानी का ज़रिया बना दिया।

इसी तरह़ जब से उन के पास यतीमों की परवरिश के शोअ़बे की ज़िम्मेदारी आई तो वह फ़िक्रमन्द थे कि यतीमों के सिल्सिले में जो कोताहियाँ और ग़फ़्लतें हो रही हैं उन को कैसे दूर किया जाए, चुनाँचे उन्होंने तह़क़ीक़ और मेह़नत के बाद अ़रबी में यह रिसाला लिखा, जिस को उर्दू तर्जुमे के बाद अब हिन्दी में जमअ़ीयत पयामे अम्न प्रकाशित करने जा रही है।

उम्मीद है कि जिस मक़्सद के लिए यह रिसाला लिखा गया है उस में कामियाबी ह़ासिल होगी, अल्लाह तआ़ला समझ अ़ता फ़रमाए और यतीमों के किफ़ालत की ज़िम्मेदारी और उन के हुक़ूक़ को समझने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। **वस्सलाम**

प्रकाशक

मलिक तस्नीम अह़मद

प्रस्तावना

सन् २००६ के अख़ीर में जब 'जमअ़ीयतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह अल् नूरी अल् ख़ैरिया' कोयत में यतीमों की किफ़ालत के शोअ़बे की ज़िम्मेदारी लेखक के पास आई तो मालूम हुआ कि लोग कैसे यतीमों के साथ मामलात करते हैं और किस तरह़ से उन के साथ पेश आते हैं, ह़ालांकि यतीम की किफ़ालत, उस की निगरानी, उस की देख-रेख और उस के साथ हुस्ने सुलूक की इस्लाम में अहमियत व फ़ज़ीलत आई है और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इस पर अज्र व सवाब की ख़ुशख़बरी दी गई है और बहुत सी क़ुर्आनी आयात और अह़ादीस नबवी में यतीम की अहमियत और उस के मामलात को ह़ल करने की तअ़लीम दी गई है और उस के साथ भलाई करने पर उभारा गया है, यही वजह है कि पूरी इस्लामी तारीख़ में यतीमों की तरफ़ ध्यान दिया गया है और उन को क़ाबिले रह़म व क़ाबिले तवज्जोह समझा गया है।

क़ुर्आन करीम में अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमायाः-

"कि यतीम को मत झिड़का करो" और ह़ज़रत नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस ने किसी यतीम के सर पर हाथ रखा और उस के खाने-पीने और ख़र्च वग़ैरह की ज़िम्मेदारी ली तो वह जन्नत में मेरे साथ इस तरह़ होगा, जैसे दो उंगलियाँ 'सब्बाबा' और वुस्ता (बीच वाली और उसके बाद वाली) हैं, इन तमाम बातों के पेशेनज़र नाचीज़ के ज़ेहन में आया कि यतीम के सिल्सिले में इस्लामी तअ़लीमात की रौशनी में जो हिदायात हैं उन को जमा कर दिया जाए।

चुनाँचे मैंने इस विषय पर ग़ौर किया और इस सिल्सिले में जो चीज़ें मिल सकती थी, उस को ह़ासिल करने की कोशिश की। इस तरह़ पहले यतीम की तअ़रीफ़, फिर क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में यतीम की फ़ज़ीलत व अहमियत और उस की ह़िफ़ाज़त व निगरानी से मुतअ़ल्लिक़ हिदायात, उस के बाद

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यतीमी और फिर यतीम की किफ़ालत व निगरानी पर जो अज्र व सवाब होता है और यतीमों की परवरिश के जो दीनी या दुनियवी फ़ायदे हैं इन तमाम बातों को एक मज़मून (लेख) की शक्ल में अ़रबी में जमा कर दिया और अक्सर दोस्तों को बज़रिये ई-मेल भेज दिया, ताकि इस से फ़ायदा उठाया जाए और यतीम की परवरिश व निगरानी और उस की ह़िफ़ाज़त पर परवरिश में जो कोताहियाँ हो रही हैं वह दूर हो जाएँ।

हमारे एक दोस्त मौलाना क़ारी मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी, रईस जमअ़ीयत पयामे अम्न ने इस का हिन्दी में तर्जुमः कर दिया और इस को अपने मकतबः पयामे अम्न से प्रकाशित कर रहे हैं। अल्लाह तआ़ला क़ुबूल फ़रमाए और इस को लिखने का जो मक़सद है उस में कामियाबी अ़ता फ़रमाए।

वस्सलाम

मुह़म्मद आ़मिर सिद्दीक़ी नदवी
हेड आफ़ प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट
जमअ़ीतुल् शेख़ अ़ब्दुल्लाह नूरी अल् ख़ैरिया (कोयत)
व जनरल सेक्रेट्री
मुह़म्मदिया एजुकेशन एण्ड वेल्फ़ेयर सोसाइटी, टोन्क (राजस्थान)

यतीम की परवरिश की अहमियत

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم امّا بعد!

जैसा कि हर मुसलमान को मालूम है कि यतीम की परवरिश, उस की ह़िफ़ाज़त व निगरानी की इस्लाम ने बहुत अहमियत बयान की है, जिस की नज़ीर किसी मिल्लत, किसी दीन और किसी क़ानून में नहीं मिलती, इस की पूरी रिआ़यत व पासदारी, उस की तरफ़ पूरी तवज्जोह बल्कि उस के लिए इस्लाम ने ऐसे ठोस तरीक़े और हुक़ूक़ मुक़र्रर किये हैं जो उस की बेहतर ज़िन्दगी और उस के ज़ेहनी सुकून की ज़िम्मेदार हैं और उस के लिए ऐसे इस्लामी उसूल व हिदायत और तअ़लीमात बयान की हैं जो तफ़्सीर व ह़दीस और फ़िक़ः की किताबों में मौजूद हैं, इसलिए इस अहम विषय पर तफ़्सील से रौशनी डाली जाती है; क्योंकि यह विषय बहुत ही अ़ज़ीम और मोहतम बिलूशान है, ख़ासतौर से इस ज़माने में इस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब से पहले यतीम का अर्थ फिर उसकी परिभाषा, उस के बाद यतीम और उस की किफ़ालत की अहमियत व फ़ज़ीलत किताब व सुन्नत की रौशनी में बयान की जाएगी और फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यतीमी, इस के बाद यतीम की किफ़ालत पर दुनिया व आख़िरत के फ़ायदे पर रौशनी डाली जाएगी, अल्लाह तआ़ला हमें ऐसे कामों की तौफ़ीक़ व हिम्मत दे जिन में इस्लाम और मुसलमानों की भलाई हो, बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है।

यतीम का अर्थ

अ़रबी ज़बान में यतीम का अर्थ अकेलेपन के आते हैं। इसलिए हर अकेली चीज़ जिस की नज़ीर मिलनी मुश्किल हो तो वह यतीम कहलाएगी और

यतीम की अस्ल ग़फ़्लत है; क्योंकि यतीम को यतीम इसलिए कहते हैं कि वह अपनी नेकी व भलाई से ग़ाफ़िल होता है, जैसा कि कहा गया "**ان اليتيم الإبطاء**" 'यतम' ग़फ़्लत और सुस्ती को कहते हैं और इसी से यतीम बना है और अ़रबी में यह भी कहा जाता है "**فی سیرہ یتم**" यानी उस की चाल में सुस्त रफ़्तारी, कमज़ोरी और फ़तूर है, चुनाँचे लफ़्ज़ यतीम अपने अस्ली माने में इन्फ़िराद, कमज़ोरी, सुस्ती और ह़ाजत पर मुन्ह़सिर है और इन तमाम सिफ़ात व ह़ालात से यतीम को अक्सर वास्ता पड़ता है।

अ़रब कहते हैं कि "यतीम" वह है जिस का बाप मर जाए और "अ़ज्मी" वह है जिस की माँ मर जाए और जिस के माँ-बाप दोनों वफ़ात पा जाएँ तो वह "यत़ीम" है, मगर यतीम हर उस शख़्स के लिए बोला जाता है जिस के वालिदैन या उन में से कोई एक वफ़ात पा जाएँ और बच्चा के लिए भी यतीम का लफ़्ज़ बोला जाता है, जब कि बुलूग़ से पहले उस के वालिदैन का इन्तिक़ाल हो जाए तो वह यतीम ही कहलाएगा जब तक कि बालिग़ न हो और औ़रत के लिए भी यतीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है जब तक वह शादी न करे, फिर जब वह शादी कर ले तो उसे यतीम नहीं कहा जाएगा और यतीम की जमअ़ (बहुवचन) ईताम और यतामा आती है।

शरीअ़त में यतीम उसे कहते हैं जिस के वालिद का इन्तिक़ाल हो गया हो और वह नाबालिग़ हो, यह तअ़रीफ़ ह़दीस नबवी (सल्ल०) से है "**لا يتم بعد احتلام**" लेकिन इस से यतीम का हुक्म ख़त्म होने के वक़्त की तअ़य्युन में फ़ुक़ह-ए-इस्लाम के दर्मियान इख़्तिलाफ़ है, इसलिए कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी है कि-

"बिलाशुबा आदमी की दाढ़ी निकल आती है और वह अपने लिए लेन-देन में कमज़ोर होता है, लेकिन जब वह अपने लिए लोगों से अच्छी चीज़ें लेने लगे तो इस से यतीम का हुक्म ख़त्म हो जाएगा" और यह माली तसर्रुफ़ के अह़काम में से है, क्योंकि यतीम का हुक्म बालिग़ होने के बाद ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि ह़दीस नबवी में है "**لا يتم بعد احتلام**"

तन्ज़ीमों और इदारों में यतीम की तअ़रीफ़

जहाँ तक तन्ज़ीमों और इदारों में यतीम की तअ़रीफ़ (परिभाषा) की बात है तो वह यह है कि यतीम वह है जिस के वालिदैन या उन में से कोई एक वफ़ात पा जाएँ। इसी तरह़ हर वह बच्चा जिस के वालिद नामालूम हों तो वह इज्तिमाई और तन्ज़ीमी मामलात में यतीम के हुक्म में होंगे, चुनाँचे जहाँ भी यतीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ वही लोग मुराद होंगे, जिन के वालिदैन या उन में से कोई एक वफ़ात पा चुके हों या दोनों में से कोई एक या दोनों नामालूम हों।

क़ुर्आन में यतीम का हुक्म

यतीम का ज़िक्र क़ुर्आन करीम में बहुत सी जगहों पर आया है, चुनाँचे हम यहाँ यतीम से मुतअ़ल्लिक़ चन्द आयात ज़िक्र करते हैं, जो यतीम की तरफ़ तवज्जोह करने पर उभारती हैं और उस को बे-यारो मददगार छोड़ने से डराती हैं, कि उन पर कोई ज़ुल्म व ज़्यादती न की जाए, अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है-

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (सूरः अल् बक़रः-२२०)

और लोग आप से यतीमों के बारे में दर्याफ़्त करते हैं, आप कह दीजिए कि उन की मस्लह़त की रिआ़यत रखना बेहतर है और अगर तुम उन के साथ ख़र्च में शामिल रहो तो वह तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह को इ़ल्म है कि फ़सादी कौन और सुधारक कौन है।

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝
(सूरः निसा-१२७)

और यतीमों के मामलात में इन्साफ़ बरतो और तुम जो कुछ भी नेकी करोगे, सो अल्लाह तआ़ला इस का ख़ूब इ़ल्म रखता है-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلٰى

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينَ (सूरः अल् बक़रः-१७७)

नेकी यह नहीं है कि तुम अपना मुँह मश्रिक़ या मग़्रिब (पूरब या पश्चिम) की तरफ़ फेर लिया करो, बल्कि नेकी यह है कि कोई शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन और फ़रिश्तों और किताब और पैग़म्बरों पर ईमान लाए और उस की मुह़ब्बत में माल तक़्सीम करे क़रीबी रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों पर।

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝
(सूरः अल् बक़रः-२१५)

आप से पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें? आप कह दीजिए कि जो कुछ तुम्हें माल से ख़र्च करना है, सो वह ह़क़ है वालिदैन का और क़रीबी रिश्तेदारों का और यतीमों का और मिस्कीनों का और मुसाफ़िरों का और जो भी नेकी करोगे, अल्लाह तआ़ला को इस का पूरा इ़ल्म है।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْـًٔا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ (सूरः निसा-३६)

अल्लाह की अ़िबादत करो और किसी चीज़ को उस का शरीक न करो और हुस्ने सुलूक रखो वालिदैन के साथ और क़राबतदारों के साथ और यतीमों और मिस्कीनों के साथ।

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ (सूरः अल् फ़ज्र-१७)

हरगिज़ ऐसा नहीं बल्कि तुम लोग यतीम की क़द्र और ख़ातिर नहीं करते।

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (सूरः ज़ुह़ा-९)

तो आप यतीम पर सख़्ती न कीजिए।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ (सूरः दह्र-८,९)

और वह लोग ख़ुदा की मुह़ब्बत से ग़रीब और यतीम और क़ैदी को खाना

खिलाते हैं, हम तुम को केवल ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिए खाना खिलाते हैं, न हम तुम से बदला चाहें और न शुक्रिया चाहें।

यतीम का ज़िक्र अहादीस की रोशनी में

इसी तरह बहुत सी अहादीस भी आई हैं जो यतीमों की किफ़ालत और उन के हालात पर तवज्जोह रखने के लिए उभारती हैं, जिन में से चन्द हदीसें यहाँ ज़िक्र की जाती हैं:

"عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ، قَالَ قَالَ رَسُول اللہِ صلیَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

انَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِیْ الْجَنَّةِ كَهٰذا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ والْوُسْطٰى وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا."

(बुख़ारी भाग ५, पेज नं० २०३२)

सहल बिन सअ़द (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में इस तरह होंगे और सब्बाबा और वुस्ता (बीच वाली दोनो उँगलियों) से इशारा फ़रमाया और उन दोनों के दर्मियान दूरी पैदा की।

अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह०) इस हदीस की तशरीह में फ़रमाते हैं कि जो शख़्स इस हदीस को सुने, उस पर यह हक़ है कि उस पर अ़मल करे ताकि वह जन्नत में नबी करीम (सल्ल०) का क़रीबी बन सके और आख़िरत में इस से बढ़कर कोई मक़ाम व मर्तबः नहीं।"

फिर अ़ल्लामा (रह०) फ़रमाते हैं कि "इस में इशारा है कि नबी पाक (सल्ल०) और यतीम की परवरिश करने वालों के दर्जे के दर्मियान में इतना ही फ़ासला है जितना कि अंगूठे और बीच की उंगली के दर्मियान।"

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि "तिर्मिज़ी की शरह में हमारे शेख़ फ़रमाते हैं कि शायद यतीम की किफ़ालत करने वाले की दख़ूल जन्नत से मिसाल देने या जन्नत में नबी (सल्ल०) की क़ुर्बत या आप (सल्ल०) के मक़ाम व मर्तबः से मिसाल देने की हिक्मत यह है कि आप (सल्ल०) की शान यह थी कि आप (सल्ल०) को ऐसी क़ौम की तरफ़ भेजा गया था जो अपने दीनी मामलात से वाक़िफ़ नहीं थे, यानी आप उन के लिए मुअ़ल्लिम और किफ़ालत (संरक्षक)

करने वाले की हैसियत से थे, इसी तरह यतीम की किफ़ालत (परवरिश) करने वाला भी उस की किफ़ालत करता है, जो अपने दीनी बल्कि दुनियवी मामलात से भी वाक़िफ़ नहीं होता जिस की वह रहनुमाई करता है और उसे तअ़लीम देता है और अच्छे आदाब व अख़्लाक़ सिखाता है, चुनाँचे परवरिश करने वाले की मुनासिबत हुज़ूर से ज़ाहिर है।

عن أبى هريره رضى الله عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"كافل اليتيم له أولغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة"

(रवाहु मुस्लिम भाग ४, पेज २२८७)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से मरवी है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, "अपने पास या ग़ैर के पास रहने वाले यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे।"

قال النبى صلى الله عليه وسلم "من ضم يتيماً بين مسلمين فى طعامه وشرابه حتٰى يستغنى عنه وجبت له الجنة."

(मुस्नद अबू यअ़ला भाग २, पेज २२७)

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, जिस ने मुसलमानों में से एक यतीम को अपने खाने और पीने में मिलाया यहाँ तक कि वह इस से बेनियाज़ हो जाए, उस के लिए जन्नत वाजिब हो गई।

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال: أتى البنى صلى الله عليه وسلم رجل يشكوه قسوة قلبه؟ قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك.

(रवाहु अल् बैहक़ी भाग ७, पेज ४७२)

हज़रत अबू दर्दा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक आदमी नबी पाक (सल्ल०) के पास आया जो अपने सख़्त दिली की शिकायत कर रहा था, आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए और तुम अपनी ज़रूरत को पा लो तो तुम्हें चाहिए कि यतीम पर रहम करो और उस के सर पर हाथ फेरो और उसे अपने खाने में खिलाओ, तुम्हारा दिल

नर्म हो जाएगा और तुम अपनी ज़रूरत को पा लोगे।

عن البنى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وضع يده على رأس يتيم رحمة، كتب الله له بكل شعرة مدت على يده حسنة.

(मुस्नद इब्ने मुबारक भाग १, पेज २२६)

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया जिस ने किसी यतीम के सर पर रह़मत व शफ़क़त से हाथ रखा तो अल्लाह तआ़ला हर बाल के बदले (जिस-जिस बाल पर उस का हाथ फेरा होगा) उस के लिए एक नेकी लिखेगा।

عن ابى هريره رضى الله عنه قال: أن رجلاً شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له: "إن أردت تليين قلبك، فاطعام المسكين، وامسح رأس اليتيم." (रवाहु अह़मद भाग २, पेज २६३)

ह़ज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अपने सख़्त दिली की शिकायत की तो आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, और तुम अपनी ज़रूरत को पा लो, तो तुम्हें चाहिए कि यतीम पर रह़म करो और उस के सर पर हाथ फेरो।

عن مالك ابن الحارث انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له ـ الجنة ـ البتة ومن اعتق امرأً مسلماً كان فكانه من النار يجزى بكل عضو منه عضوا من النار. (रवाहु अह़मद भाग ५, पेज २६)

ह़ज़रत मालिक बिन ह़ारिस (रज़ि०) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) को फ़रमाते हुए सुना कि जो मुसलमान वालिदैन के एक यतीम को अपने खाने और पीने में शरीक करेगा, यहाँ तक कि वह इस से बेनियाज़ हो जाए तो यक़ीनन उस के लिए जन्नत वाजिब हो गई और जिस ने एक मुसलमान आदमी को आज़ाद किया तो उस का आज़ाद करना उस के हर अंग के लिए जहन्नम से छुट्कारे का सबब बन जाएगा।

عن ابى امامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح راس يتيم لم يمسحه الا لله كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنات، ومن أحسن الى يتيمة اويتيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين، وفرق بين اصبعيه السبابة والوسطى. (रवाहु अह़मद भाग ४५, पेज ६२७)

ह़ज़रत अबू उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, जिस ने अल्लाह के लिए किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो उस के लिए हर बाल (जिस पर हाथ फेरा है उस बाल) के बदले नेकियाँ हैं और जिस ने किसी यतीम के बच्चे या बच्ची के साथ (जो उस के पास हैं) हुस्ने सुलूक (अच्छा मामला) किया तो मैं और वह जन्नत में इस तरह़ होंगे और अपनी दोनों उंगलियों सब्बाबा और वुस्ता को अलग किया।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن اعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل." (रवाहुलु बुख़ारी भाग २, पेज ५३२)

ह़ज़रत अबू सईद ख़ुद्री (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, बिलाशुब्हा यह माल सरसब्ज़ व शादाब और शीरीं है और बेहतरीन माल वाला वह शख़्स है जो अपने माल में से यतीम और मिस्कीन को मुसाफ़िर बना दे।

عن ابن عباس رضى الله عنهما، ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيماً من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة إلا ان يعمل ذنباً لا يغفرله. (रवाहुलु तिर्मिज़ी भाग ४, पेज ३२०)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, जिस ने मुसलमानों में से किसी यतीम को अपने खाने और पीने में शरीक किया तो अल्लाह तआ़ला उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल फ़रमाएँगे, मगर यह कि वह (कोई) ऐसा गुनाह करे जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता हो।

यतीम के निगरानी की फ़ज़ीलत

किताब व सुन्नत और सहा़बा के क़ौल की रौशनी में

यतीम की परवरिश और उस पर तवज्जोह देने और हि़फ़ाज़त करने की ताकीद शरीअ़ते इस्लामी में इतनी है कि यतीम का लफ़्ज़ और उस से निकले हुए शब्द क़ुर्आन मजीद की २३ आयतों में आये हैं और जब यतीम के मुतअ़ल्लिक़ क़ुर्आन मजीद और अहा़दीस में हम ग़ौर करते हैं तो यह समझ में आता है कि यतीम के मस्ले को पाँच बातों में रखा जा सकता है। जैसे उस से मुसीबतों को दूर करना, उस के जान व माल में और उस के वैवाहिक ज़िन्दगी में उस के लिए फ़ायदा पहुँचाना, उस के साथ अच्छा सुलूक और एह़सान की ताकीद और ज़ेहनी पहलुओं की भी रिआ़यत करना, हम यहाँ पर बाज़ क़ुर्आनी आयात और उन अहा़दीस की तशरीह़ पेश करते हैं जिन में यतीम की निगरानी और उस की हि़फ़ाज़त व किफ़ालत की फ़ज़ीलत व अहमियत बयान की गई है।

क़ुर्आन करीम ने यतीम के साथ अच्छा सुलूक करने की बहुत सी जगह दअ़वत दी है और उस के साथ अच्छा मामला करने पर उभारा है। यतीम के साथ अच्छा सुलूक करने का अन्दाज़ा इस से भी लगा सकते हैं कि क़ुर्आन करीम ने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने के साथ-साथ ही यतीम के साथ अच्छा सुलूक करने का ज़िक्र किया है, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۣ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ (सूरः अल् बक़रः-८३)

और वह वक़्त याद करो जब हम ने बनी इस्राईल से अ़हद लिया कि अ़िबादत न करना किसी की सिवाय अल्लाह के और अच्छे सुलूक से पेश आना अपने माँ-बाप से और क़राबतदारों और यतीमों और मोह़ताजों से भी और लोगों से भली बात कहना और नमाज़ क़ायम रखना और ज़कात देते रहना,

फिर तुम सब उन अह़काम से फिर गये सिवाय तुम में से कुछ लोगों के और तुम ही फिरने वालों में हो गये।

चुनाँचे यतीम के साथ अच्छा सुलूक और एह़सान ज़रूरी है जिस तरह़ वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ ज़रूरी है, और यह बात तबअ़ी है कि क़ुर्आन करीम ने यतीम के साथ बद्सुलूकी करने और ग़लत मामला करने और उस को झिड़कने से मना कर के इन सब बातों की जड़ ही काट दी है, जैसा कि अल्लाह ने फ़रमाया فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (सूरः ज़ुहा़-६) कि यतीम पर तुम भी सख़्ती न किया करो।

अ़ल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि इस का मतलब यह है कि उसे ज़लील मत करो, उसे मत झिड़को और उस की तौहीन मत करो; बल्कि उस के साथ अच्छे सुलूक से पेश आओ, उस पर शफ़्क़त और नर्मी करो और यतीम के लिए एक रह़म दिल बाप की तरह़ बन जाओ, रसूलुल्लाह (सल्ल०) यतीम पर लोगों में सबसे ज़्यादा रह़म करने वाले और शफ़्क़त करने वाले थे, यहाँ तक कि इस की ताकीद करते हुए फ़रमाया- "أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً" मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह़ होंगे और आप ने अँगूठे और बीच की उंगली से इशारा किया और दर्मियान को कुशादा कर दिया।

और क़ुर्आन करीम की तवज्जोह यतीम के मामला में इस ह़द तक है कि उस ने यतीम की तर्बियत व रिआ़यत और उस के मामले में उस की अच्छी ज़िन्दगी के लिए उभारा है, यहाँ तक कि वह मुस्लिम समाज का एक लाभदायक हि़स्सा बन जाए। अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (सूरः ज़ुहा़-६) कि "यतीम पर सख़्ती मत किया करो" दूसरा इर्शाद है-

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ (सूरः माऊ़न-१,२) क्या तूने देखा उस को जो झुठलाता है इन्साफ़ होने को, सो यह वही है जो धक्के देता है यतीम को।

यह दोनों आयतें यतीम पर एह़सान करने की अहमियत और उस के साथ लुत्फ़ व करम, रह़मत व मेहरबानी की ताकीद करती हैं, ताकि वह बेकारी और

नाउम्मीदी का शिकार न हो और उस को समाज में अपने अकेलेपन का ख़याल न हो कि वह टूटा हुआ दिल लेकर मुस्लिम समाज का एक बेकार अंग हो जाए।

ऐसे ही रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यतीम के साथ अच्छे सुलूक करने की ताकीद फ़रमाई है और उस को दिल के सख़्ती का इलाज क़रार दिया है। हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अपने दिल के सख़्ती के बारे में शिकायत की तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया "امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين" यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ, इस पर अज्र अ़ज़ीम फ़रमाया, इस तरह़ कि आदमी बड़ी-बड़ी नेकियाँ कमाता है हर उस बाल के बदले जो यतीम के सर पर है और जिन पर वह हाथ फेरता है। हज़रत अबू उमामा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया-

"من مسح رأس يتيم لم يمسحه الا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أويتيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وفرق اصبعيه السبابة والوسطى" (मुस्नद अह़मद भाग ५, पेज २६)

जो शख़्स यतीम के सर पर अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए हाथ फेरता है जो उस के लिए हर उस बाल के बदले नेकियाँ मिलती हैं जिस पर उस का हाथ गुज़रता है और जिस ने किसी यतीम बच्चा या बच्ची के साथ अच्छा सुलूक किया जो उस के पास है, तो मैं और वह जन्नत में इस तरह़ होंगे और अपनी दोनों उंगलियाँ सब्बाबा और वुस्ता (दोनों बीच वाली उंगलियाँ) को एक दूसरे से जुदा कर दिया।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उन लोगों के लिए अज्र अ़ज़ीम का वादा फ़रमाया है जो लोग यतीम की किफ़ालत करते हैं, आप (सल्ल०) ने फ़रमाया-

"من عال ثلاثة من الأيتام قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله وكنت انا وهو فى الجنة أخوين كهاتين اختان، والصق اصبعيه السبابة والوسطى" (इब्ने माजा भाग २, पेज १२१३)

जिस ने तीन यतीमों की किफ़ालत की तो वह उस शख़्स की तरह़ है जो रात में (तहज्जुद पढ़ता है) क़याम करता है और दिन में रोज़ः रखता है और सुबह़ व शाम अल्लाह के रास्ते में अपनी तलूवार को सोंते हुए निकलता है तो वह और मैं जन्नत में दो भाईयों की तरह़ होंगे, जैसा कि यह दोनों बहनें (उंगलियाँ) हैं और आप (सल्ल०) ने अपनी दोनों उंगलियाँ सब्बाबा और वुस्ता आपस में मिला दीं।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने यतीम पर रह़म करने वाले को यह कहते हुए ख़ुशख़बरी सुनाई है "والذى بعثنى بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له فى الكلام ورحم يتمه وضعفه" (तबरानी भाग ८, पेज ३४६)

क़सम है उस ज़ात की जिसने मुझे ह़क़ के साथ भेजा है। अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस शख़्स को अ़ज़ाब नहीं देंगे जिस ने किसी यतीम पर रह़म किया हो, उस के साथ नर्म कलामी से पेश आया हो और उस के यतीम और कमज़ोर होने पर तरस खाया हो।

इस के अ़लावा अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने यतीम को खाना खिलाने और उस के साथ अच्छा सुलूक करने की तर्ग़ीब देते हुए इर्शाद फ़रमाया "خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم" घरों में सब से अच्छा घर वह है जिस में कोई यतीम हो और उस के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो।

एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

"من قبض يتيماً من بين المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة، ما لم يفعل ذنبا لا يغفر"

जिस ने मुसलमानों में से किसी यतीम को अपने खाने और पीने में शरीक किया हो, अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत में ज़रूर दाख़िल करेंगे, जब तक उस ने किसी नाक़ाबिले माफ़ी गुनाह का इरतिकाब न किया हो।

ऐसे ही रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुसलमानों को ऐसे घर को बेहतरीन घर क़रार दिया है जिस में कोई यतीम हो और उस के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो, चुनाँचे आप (सल्ल०) का इर्शाद है-

"خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه، و شربيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه۔"

कि मुसलमानों के घरों में सब से बेहतर वह है जिस में कोई यतीम हो

और उस के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और सब से बुरा घर वह है जिस में कोई यतीम हो और उस के साथ बुरा मामला किया जाता हो।

जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने यतीमों के माल की हिफ़ाज़त का हुक्म दिया है और इस में लापरवाही को गुनाह क़रार दिया है, बल्कि उसे गुनाह कबीरा में शुमार किया है और उस पर सख़्त अ़ज़ाब बताया है, अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝ (सूरः निसा-१०)

बेशक जो लोग यतीमों का माल जानबूझकर खा लेते हैं वह बस अपने पेट में आग ही भरते हैं और जल्द ही वह दहकती हुई आग में झोंके जाएँगे, इसी तरह़ अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ (सूरः बनी इस्राईल-३४)

और यतीम के माल के पास भी न जाओ सिवाय इस तरीक़े के जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपने पुख़्तग़ी (उ़म्र) को पहुँच जाए और अ़हद (वादा) की पाबन्दी रखो, बेशक अ़हद से मुतअ़ल्लिक़ सवाल होगा।

और ह़ज़रत मुह़म्मद मुस्तफ़ा (सल्ल०) ने यतीम के माल के खाने को सात हलाक करने वाली चीज़ों में शुमार किया है-

"عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالو يا رسول الله وما هن؟ قال الشرک بالله والسحر، وقتل النفس التی حرم الله" إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولی يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔"
(अल् बुख़ारी भाग ३, पेज १०१७)

ह़ज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से

बचो! सह़ाबा ने दर्याफ़्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! वह क्या चीज़ें हैं? आप ने इर्शाद फ़रमाया! अल्लाह के साथ शरीक करना, जादू करना और किसी जान का (नाह़क़) क़त्ल करना, जिस को अल्लाह ने ह़राम किया मगर ह़क़ के साथ। सूद खाना और यतीम का माल खाना और जंग के मैदान से मुँह फेर कर भागना और ग़ाफ़िल पाक दामन मोमिन औ़रत पर इल्ज़ाम लगाना।

इस हुक्म की हौलनाकी की वजह से आप (सल्ल०) सह़ाबा-ए-किराम में कमज़ोर ह़ज़रात को तवज्जोह दिलाया करते थे कि वह किसी यतीम के माल का वाली (संरक्षक) न बनें, चुनाँचे ह़ज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी (रज़ि०) से मरवी है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

"يا اباذر! انی أراک ضعيفا وانی احب لک ما احب لنفسی، لا تأمرن علی اثنين، ولا تولين مال يتيم۔" (मुस्लिम, भाग-३ पेज, १४५८)

ऐ अबू ज़र! मैं तुम्हें कमज़ोर देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वही पसन्द करता हूँ जो अपने लिए पसन्द करता हूँ, तुम लोगों के दर्मियान फ़ैसला न करो और यतीम के माल के वाली मत बनो।

और शरीअ़ते इस्लाम ने यतीमों के माल की मुस्तक़िल हिफ़ाज़त के लिए उसे किसी कारोबार में लगा कर बढ़ाने और फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया है ताकि उस पर ख़र्च करते करते ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

"الا من ولی يتيما له مال فليتجز به، ولا يترکه حتی تأکل الصدقة" (तिर्मिज़ी, भाग-३ पेज ३२०)

जान लो जो कोई किसी ऐसे यतीम का मुरब्बी हो जिस के पास माल हो तो वह उस के माल को तिजारत में लगाए और उसे ऐसे ही न छोड़े कि सद्क़ः (ज़कात देने) की वजह से ख़त्म हो जाए। इसी तरह़ ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि०) से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया-

"اتجروا فی مال اليتامٰی حتی لا تاكلها الزكوة" "यतीमों के माल में तिजारत करो ताकि जक़ात देने की वजह से वह ख़त्म न हो जाए, यहीं से यह बात ज़रूरी हो जाती है कि जो यतीम के माल के वाली और ज़िम्मेदार हैं वह उन

की ख़ैरख़्वाही के तौर पर उन के माल को किसी कारोबार में लगा कर बैठाएँ, अक्सर अहले इ़ल्म की यही राय है, लेकिन शर्त यह है कि उसे किसी ख़त्रे में न डाला जाए।

ख़ुलासा यह है कि इस्लाम ज़्यादा लायक़ है कि यतीम के मामले का एहतिमाम करे चाहे उस की परवरिश के एतिबार से, चाहे ह़िफ़ाज़त व निगरानी और तर्बियत के एतिबार से, या उस के माल की ह़िफ़ाज़त के एतिबार से और इसी तरह़ उस के तमाम हुक़ूक़ का ख़याल रखे, ताकि वह अच्छी तरह़ ज़िन्दग़ी गुज़ार सके।

इसी तरह़ इस्लाम हर ज़ईफ़ व कमज़ोर, ह़ाजतमन्द और मदद के मुस्तह़िक़ की मदद करने की ताकीद व हिदायत करता है, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि–

(सूरः दहर-८) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا यानी वह लोग उस की मुह़ब्बत में मिस्कीन व यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया–

(बुख़ारी, जिल्द-३, पेज १०६१) "هل تنصرون وترزقون الا بضعائكم"

कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोर लोगों की बरकत से रोज़ी दी जाती है।

ह़दीस शरीफ़ में आया है कि अल्लाह तआ़ला ने एक औ़रत की मग़्फ़िरत एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर कर दी थी, जो कुएँ में नहीं उतर सकता था, वह प्यास की शिद्दत से मिट्टी को चाट रहा था, चुनाँचे वह औ़रत कुएँ में उतरी और पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाया तो अल्लाह तआ़ला ने उस औ़रत की मग़्फ़िरत कर दी।

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) ने फ़रमाया कि ज़ईफ़, कमज़ोर, मज़लूम, क़र्ज़दार अल्लाह के रास्ते में चलने वाले, रास्ता के मुसाफ़िर और सवाल करने की और (ग़ुलामों को) आज़ाद करने में लोगों की मदद करो और बेवा यतीम पर रह़म करो, ह़ज़रत अ़ली की तमाम वसीयतों में से यह भी है कि यतीमों के बारे में अल्लाह से डरो।

सह़ाबा-ए-किराम से लेकर आज तक मुसलमानों के समाज ने इस

इस्लामी तअ़लीमात पर अ़मली मिसालें पेश की हैं, सह़ाबा-ए-किराम और सह़ाबियात (रज़ि०) यतीम बच्चों और बच्चियों की परवरिश किया करते थे और उन्हें अपने घर में मिला लिया करते थे, चन्द किफ़ालत करने वाले सह़ाबा व सह़ाबियात के नाम बतौर मिसाल दर्ज किये जाते हैं।

ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीजा, ह़ज़रत नईम बिन हिज़ाल, ह़ज़रत क़ुदामा बिन मज़ऊन, ह़ज़रत अबू सईद ख़ुद्री, ह़ज़रत अबू मह़ज़ूरह, ह़ज़रत अबू तल्ह़ा, ह़ज़रत उरवह बिन ज़ुबैर, ह़ज़रत सअ़द बिन मालिक अन्सारी, ह़ज़रत अस्अ़द बिन ज़ुरारह, ह़ज़रत आ़ईशा बिन्त अबू बक्र सिद्दीक़, ह़ज़रत उम्मे सुलैम, ह़ज़रत ज़ैनब बिन्त मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, इन के अ़लावा और भी बहुत से सह़ाबा व ताबिई़न रिज़्वानुल्लाहि अ़लैहिम यतीमों की परवरिश किया करते थे।

इसी तरह़ क़दीम और जदीद ज़माने में मुसलमानों ने इज्तिमाई और इन्फ़िरादी तौर पर यतीमों की किफ़ालत की तरफ़ तवज्जोह की है, जैसा कि मुसल्सल इस्लामी ह़ुकूमतों के अमीर और मालदार ह़ज़रात ने यतीमों की ख़ातिर बहुत सा माल व जायदाद वक़्फ़ की है और इस्लामी मुमालिक के बादशाहों के ज़माने के अवक़ाफ़ के दस्तावेज़ में से एक दस्तावेज़ में यह हुक्म भी मौजूद है कि

"أن يكسى كل من الأيتام المذكورين فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعا ونعلاً وفى رجليه وفى الشتاء مثل ذلك ويزاد عليه جبة محشوة بالقطن"

इससे तमाम यतीमों को गर्मी के मौसम में क़मीस, क़ुबा और उस के दोनों पैरों में जूते पहनाये जाएँ और इसी तरह़ सर्दी के मौसम में मज़ीद ऊन से बने हुए जुब्बे की ज़्यादती की जाए।

इसी तरह़ सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी (रह़०) के कारनामों में है कि उन्होंने एक मर्तबः हुक्म दिया था कि मकातिब की तअ़मीर की जाए और उन में किताबुल्लाह की तअ़लीम के लिए उस्ताज़ रखे जाएँ जो इस में यतीमों को तअ़लीम दे सकें, उन्हें मअ़क़ूल तन्ख़्वाहें दी जाएँ, जो उन के लिए काफ़ी हों।

जैसा कि सियाह् बिन जुबैर ने अपनी दमिश्क के सफ़र में ज़िक्र किया है, कि उन्होंने यतीमों की एक बड़ी क़ियामगाह का मुशाहिदा किया जिस के लिए बहुत सारी जायदाद वक़्फ़ की गई थी, मुअ़ल्लिम उन की ख़ातिर इस से लेता और उस से उन की देख रेख करता और उन के कपड़े और दूसरी ज़रूरियात के लिए उन पर ख़र्च करता, जैसा कि ज़ाहिर बैबर्स ने अपने मदरसे के पड़ोस में एक मक्तब क़ायम किया था और उस में ख़ासतौर से यतीमों के लिए रोज़ाना रोटी का इन्तिज़ाम किया था और मौसम गर्मा और मौसम सर्दी में कपड़े वग़ैरह का इन्तिज़ाम किया था और उन के लिए तअ़लीम की ज़रूरियात जैसे- क़लम, रौशनाई, तख़्ती वग़ैरह का भी अच्छा इन्तिज़ाम किया था।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यतीमी

अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ (सूरः ज़ुहा-६)

क्या उस ने आप को यतीम नहीं पाया था, फिर आप को ठिकाना न दिया।

यतीमों की निगरानी के फ़ज़ायल ज़िक्र करने के बाद अब हम एक अहम नुक्ते की तरफ़ इशारा करना चाहते हैं और वह नबी करीम (सल्ल०) की यतीमी है और इस अहम नुक्ते पर हम रौशनी डालेंगे कि नबी करीम (सल्ल०) की शख़्सियत और आप की नबवी ज़िन्दगी में इस यतीमी ने क्या अहम रोल अदा किया और कैसे आप उम्मत पर शफ़ीक़ व रहीम और मुहब्बत करने वाले हुए।

और यह बात कि अल्लाह रब्बुल आ़लमीन ने यतीम के बारे में बताने के बाद क़ुर्आन पढ़ने वाले के लिए यह बात छोड़ दी कि नबी पाक (सल्ल०) के यतीमी के बारे में ग़ौर व फ़िक्र करे। इस के बाद इस अन्दाज़ में आप की तर्बियत की और फ़रमाया-

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (सूरः ज़ुहा-६) बस तू यतीम को मत झिड़क, हाँ नबी करीम (सल्ल०) भी यतीम थे और आप की यतीमी कई तरह से थी, आप बाप के यतीम थे, माँ के यतीम थे, रज़ाअ़त के यतीम थे और दादा के यतीम थे।

बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (सल्ल०) की यतीमी पै दर पै लगातार रब्बुल आ़लमीन की तरफ़ से थी, इसलिए कि उस का नबी करीम (सल्ल०) को रिसालत व नुबूव्वत के लिए तैयार करने में अहम रोल है कि जिन ह़ादसात से रसूलुल्लाह (सल्ल०) का सामना हुआ और वह तमाम ह़ादसात जो विलादत से लेकर बेअ़सत तक पेश आये, आप (सल्ल०) को इस अ़ज़ीम ज़िम्मेदारी के लिए तैयार करने में एक अहम किरदार रखते हैं।

चुनाँचे कोई भी यतीम ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) की यतीमी की तरह़ नहीं हो सकता; क्योंकि आप (सल्ल०) के वालिद मोह़तरम उस वक़्त वफ़ात पा चुके थे, जब वह रह़म मादर ही में थे और यह पहली यतीमी थी, फिर उन की विलादत के बाद ही एक और यतीमी हो गई यानी वह अपनी माँ के दूध पीने से मह़रूम हो गये और एक बच्चे का अपनी माँ के दूध से मह़रूम होना एक अ़जीब व ग़रीब और मुतास्सिर कुन यतीमी है, इसलिए कि विलादत सिर्फ़ माँ बनने का नाम नहीं है बल्कि माँ बनना यह विलादत और दूध पिलाने ही का नाम है, इसलिए कि अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया है-

(सूरः अल् बक़रः-२३३) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

"और माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं।"

चुनाँचे जो अपने बच्चे को दूध न पिलाए वह माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ जनने वाली औ़रत है, इस तरह़ यह आप की दूसरी यतीमी हुई। रज़ाअ़त की ह़ालत की तरह़ और कोई ऐसी ह़ालत नहीं है जो एक बच्चे को उस की माँ से जोड़े रखे। अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है-

(सूरः निसा-२३) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ और तुम्हारी वह माएँ जो तुम्हें दूध पिलाएँ।

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم سألت ربى عزوجل مسئالة وددت انى لم اكن سألت: قالت يا رب قد كان من قبلى انبياء منهم سخرت له الريح، ومنهم من أحييت له الموتى،قال: يا محمد الم أجدک يتيما فآويتک، قلت بلى يا رب، قال ألم أجدک ضالاً فهديتک، قلت: بلى يا رب، قال أوليس اعطيک افضل من ذلک كله،

انی لا اذکر ت معی وجعلت صدور امتک انا جیل یقروؤن القرآن ظاهرا ولم اعطها لأمة واعطیتک کنزاً من کنوز عرشی، لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔" (अलू बैहक़ी, जिल्द-८, पेज १११)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, मैंने अपने रब से ऐसा सवाल किया कि काश मैं सवाल न करता, मैंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिग़ार! मुझ से पहले जो अम्बिया थे उन में से किसी के लिए हवा मुसख़र (हवा पर कन्ट्रोल) थी, किसी के लिए मुर्दा ज़िन्दा हो जाते थे, अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया ऐ मुह़म्मद (सल्ल०)! क्या मैंने आप को यतीम नहीं पाया था फिर मैंने आप को पनाह दी, मैंने कहा क्यों नहीं ऐ मेरे परवरदिग़ार! फिर अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया क्या मैंने आप को भटका हुआ नहीं पाया था, तो मैंने आप को राह दिखाई।

मैंने अ़र्ज़ किया क्यों नहीं ऐ मेरे परवरदिग़ार! फिर इर्शाद हुआ क्या मैंने आप को हर चीज़ से अफ़ज़ल अ़ता नहीं किया, कि मैं अपने साथ तुम्हें भी याद करता हूँ और तुम्हारी उम्मत के सीने को खोल दिया है कि वह क़ुर्आन की तिलावत करते हैं और किसी उम्मत को यह अ़ता नहीं किया और मैंने आप को अपने अ़र्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना दिया **"لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم"**

अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि यह आज़माईश रह़मत है। दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠

(सूरः आले इमरान-१५९)

ख़ुदा की रह़मत के सबब आप उन पर नर्म रहे, और अगर आप सख़्त तबीअ़त होते तो यह (लोग) आप के पास से बिखर गये होते।

मुख़्तसर यह कि इस तर्जुबे ने आप (सल्ल०) को इस तरह़ नर्म दिल बना दिया कि आप के ज़रिये से इस्लाम से पहले की अ़रब की सख़्त मिज़ाजी ख़त्म हो गई, इस नर्मी और हुस्ने सुलूक के कई अस्बाब हैं, सब से पहला सबब यह बड़ी आज़माइश यतीमी है, जिस से आप (सल्ल०) चार मर्तबः दो चार हुए।

आप (सल्ल०) ने अपने नफ़्स की ख़ातिर कभी किसी से इन्तिक़ाम नहीं लिया, यहाँ तक कि आप (सल्ल०) को आप की क़ौम ने किस तरह़ तक्लीफ़ पहुँचाई और तक्लीफ़ें दीं और किस तरह़ अहले मक्का ने आप के और आप के अस्ह़ाब के साथ बर्ताव और सुलूक किया, चुनाँचे यह यतीमी नबी करीम (सल्ल०) और पूरी इन्सानियत के लिए रह़मत बन गई, आप (सल्ल०) अपनी क़ौम की गालियों को मुस्कुरा कर माफ़ कर दिया करते थे, चुनाँचे आप (सल्ल०) की बड़ी नेकियों में से आप की इन्सानियत है जिस से ऊपर की इन्सानियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता।

इस्लाम में यतीम की परवरिश

मुनासिब मालूम होता है कि यहाँ बाज़ वह बुनियादी बातें ज़िक्र की जाएँ, जिन पर इस्लामी क़ानून में यतीम के किफ़ालत की बुनियाद है।

इस्लाम में इन्सान का मक़ाम (स्तर)

जब अल्लाह तआ़ला ने इन्सान को पैदा किया तो उस ने अपने फ़रिश्तों से इन्सान को सज्दः करवाया, अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ۝ إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۭ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ (सूरः साद-७१,७४)

जब कि आप के रब ने फ़रिश्तों से इर्शाद फ़रमाया कि मैं गारे से एक इन्सान बनाने वाला हूँ, सो मैं जब उस को पूरा बना चुकूँ और उस में अपनी तरफ़ से जान डाल दूँ तो तुम सब उस के रूबरू सज्दे में गिर पड़ना (जब अल्लाह ने उस को बना दिया) तो सारे के सारे फ़रिश्तों ने उस को {आदम (अ़लै०) का} सज्दः किया, मगर इब्लीस ने कि वह गुरूर में आ गया और काफ़िरों में से हो गया, यह सज्दः सज्दः तअ़ज़ीमी था। जैसा कि मुफ़स्सिरीन ने ज़िक्र किया है।

जिन्स इन्सान मोहतरम व मुकर्रम है और अल्लाह तआला की तमाम मख़्लूक़ात में उस का एक ख़ास मक़ाम व मर्तबः है, अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ (सूरः बनी इस्राईल-७०)

हम ने बनी आदम को इ़ज़्ज़त दी है और हम ने उन्हें ख़ुश्की और दरिया (दोनों) में सवार किया और हम ने उन को नफ़ीस चीज़ें अ़ता कीं और हम ने उन को अपनी बहुत सी मख़्लूक़ पर बड़ी फ़ज़ीलत दी है।

अल्लाह तआला ने इस मख़्लूक़ बशरी को तमाम मख़्लूक़ात पर फ़ज़ीलत दी है, उस की शक्ल व सूरत बनावट और उस की फ़ित्रत और ज़मीन में उस की ख़िलाफ़त और उस के लिए तस्ख़ीर कायनात के ज़रिये से उस को इ़ज़्ज़त दी, क़ुर्आन मजीद में इस की इ़ज़्ज़त और इस की हमेशगी का एलान कर के फ़ज़ीलत बख़्शी है, यहीं से यह बात साबित होती है कि इन्सान मुकर्रम है और उस का एक क़ाबिले एहतिराम मक़ाम है और उस की एक महफ़ूज़ व मोहतरम इ़ज़्ज़त है और यतीम इस तक्रीम का मुस्तहिक़ है, बल्कि यतीम तो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस इ़ज़्ज़त का ज़्यादा हक़्दार है।

इस्लामी समाज और आपसी मामलात

अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया-

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (सूरः फ़तेह़-२६)

मुह़म्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आप के साथ हैं वह काफ़िरों के मुक़ाबिले में सख़्त हैं और आपस मे मेहरबान हैं।”

अल्लाह तआला ने मोमिनों की सिफ़त बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया-

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ (सूरः अल्-बलद-१७)

फिर वह लोग जो ईमान लाए और आपस में एक दूसरे को सब्र की तल्क़ीन और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत की।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी तमाम इन्सानों को एक जिस्म फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं-

”ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى“ (बुख़ारी भाग-९, पेज १३)

मोमिन की मिसाल आपस में मुहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे पर मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह है कि जिस के एक अ़ज़्व (अंग) को तक्लीफ़ होती है तो पूरा जिस्म बुख़ार व बेख़्वाबी में मुब्तिला हो जाता है।

हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

”لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه“ (बुख़ारी, भाग-९, पेज १३)

तुम्हारा ईमान उसी वक़्त मुकम्मल हो सकता है, जब कि तुम अपने भाई के लिए वही पसन्द करो जो अपने लिए पसन्द करते हो।

हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) का यह क़ौल नक़्ल फ़रमाते हैं-

”لا يرحم الله من لا يرحم الناس“ (बुख़ारी-भाग ६, पेज २६८६)

अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं फ़रमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता।

आपस में एक दूसरे पर रहम करने की अ़ज़्मत की वजह से आप (सल्ल०) ने उन लोगों को जो इन्सान पर रहम नहीं करते, आ़मतौर से नुक़्सान उठाने वालों में शुमार फ़रमाया, आप (सल्ल०) का इर्शादे गिरामी है-

”خاب عبدو خسر، لم يجعل الله فى قلبه رحمة للبشر“

(मोअरफ़तुल अल् सहाबा अबू नईम भाग १४, पेज ३५२)

वह बन्दा नुक़्सान और ख़सारे में है जिस के दिल में अल्लाह तआला ने इन्सान के लिए रहम व करम का माद्दह पैदा नहीं फ़रमाया, यही वह बुनियादी चीज़ है जो आपसी रहम पर लोगों को उभारती है जिस की वजह से हमारे मुआ़शरे में यतीमों के लिए दीनी व अख़्लाक़ी और इस्लाही तअ़लीमात का

इन्तिज़ाम किया जाता है, जिस से आपस में लुत्फ़ व करम और मुहब्बत व शफ़क़त की तर्ग़ीब होती है।

इस्लाम में एह्सान का बदला

अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया-

(सूरः रहमान-६०) هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

एह्सान का बदला सिर्फ़ एह्सान है, यानी जो अल्लाह की अ़िबादत में एह्सान जैसी कैफ़ियत पैदा करेगा और उस के बन्दों को नफ़ा पहुँचाएगा तो इस का बदला अल्लाह तआला अ़ज़ीम सवाब, बड़ी कामियाबी और बेहतरीन ज़िन्दगी और दूसरी दुनियावी व दीनी नेअ़मतों की शक्ल में अ़ता फ़रमाएगा।

हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

(मुस्लिम-भाग ३०, पेज १५४८) "ان الله كبت الإحسان على كل شئى"

बेशक अल्लाह तआला ने एह्सान को हर चीज़ पर तह़रीर (ज़रूरी) फ़रमा दिया है।

शरीअ़त की हिक्मत और वह इस्लामी बुनियादें जिन पर यतीमों की रिआ़यत और उन की किफ़ालत और असास क़ायम है वह इस आयत पर ग़ौर करने से ज़ाहिर हो जाती है, अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया-

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (सूरः निसा-६)

"लोगों को यह ख़याल करना चाहिए कि अगर वह अपनी बेबस और कमज़ोर औलाद को छोड़ कर मर जाए तो उन्हें अपनी औलाद के बारे में कितने अन्देशे होते अपने आप पर, क़यास कर के खुद दौड़ते रहना चाहिए और अल्लाह की नाफ़रमानी से हर तरह़ बचना चाहिए और बात कही जाए तो ठीक और सीधी बात कही जाए।"

चुनाँचे आज यतीम की किफ़ालत करने वाला यह अ़मल अपने लिए कर

रहा है क्योंकि उस ने अपनी कमज़ोर औलाद को छोड़ा तो उस की औलाद के साथ भी वही मामला और सुलूक किया जाएगा, जैसा कि उस ने किसी ग़ैर की औलाद के साथ किया था, लिहाज़ा लोगों को उन यतीमों के साथ जो उन के मातहेत अच्छा बर्ताव करना चाहिए जैसा कि वह चाहते हैं कि ग़ैर भी उन के बाद उन के यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करें। चुनाँचे आज आप यतीम के साथ जैसा हुस्ने सुलूक करेंगे वैसा ही कल आप के यतीमों के साथ किया जाएगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा बदला होगा, लिहाज़ा अगर ख़ैर का काम किया है तो ख़ैर का बदला ख़ैर होता है और नतीजा भी अच्छा होता है और अगर शर का मामला किया है तो शर का बदला शर ही होता है और इस का नतीजा ज़ुल्म है।

मुस्लिम समाज

इस्लाम ने इस बात की तर्ग़ीब दी है कि मुस्लिम समाज को आपस में मददगार व ग़मख़्वार और मुत्तहिद होना चाहिए, यही वजह है कि इस्लाम अपने मानने वाले को लगातार तर्ग़ीब देता है कि एक दूसरे की ख़िद्मत की जाए अपने मुसलमान भाईयों की तंगी दूर की जाए, उन को हर वक़्त खुश रखने की कोशिश की जाए, उन के माल व दौलत की हिफ़ाज़त की जाए और इस पर अज्र व सवाब फ़रमाया और खुद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें अफ़्ज़ल आ़माल में शुमार फ़रमाया है।

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) से पूछा गया कि कौन सा अ़मल सब से अफ़्ज़ल है, आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-

"افضل العمل أن تدخل على اخيك المؤمن سروراً أو تقضى
عنه أو طعمه خبزاً" (तर्ग़ीब, भाग-१ पेज २१४)

सब से अफ़्ज़ल अ़मल यह है कि अपने मुसलमान भाई को खुश रखो या उस के क़र्ज़ को अदा करो या उसे रोटी खिलाओ, इसी तरह़ आदमी का अपने मुसलमान भाई के साथ मदद करने को भी सद्क़े से तअ़बीर फ़रमाया कि वह रोज़ाना अपनी तरफ़ से सद्क़ः करता है, चुनाँचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन

अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया–

”فی ابن آدم ستون وثلا ثمائة سلامی أوعظم أومفصل، علی کل واحد فی
کل یوم صدقه، کل کلمة طیبه صدقه، وعون الرجل أخاه صدقة“

(अदब अल् मुफ़्रिद लिल् बुख़ारी, भाग–१, पेज १५२)

बनी आदम के जिस्म में ३६० जोड़ हड्डियाँ हैं और हर एक पर रोज़ाना सद्क़ः है, हर भली बात सद्क़ः है और आदमी का अपने भाई की मदद करना भी सद्क़ः है।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने समाज में अपने मोमिन भाई के साथ एक मोमिन की हालत की बहुत ही अच्छे अल्फ़ाज़ में तअ़रीफ़ की है, हज़रत अबूहुरैरह (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया–

”المؤمن مرآة اخیه، والمؤمن أخ المؤمن یکف علیه ضیغه ویحوطه من روائه“

(अदब अल् मुफ़्रिद भाग–१, पेज ६३)

मोमिन अपने भाई का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है जो उस के माल व दौलत की निगरानी करता है और उस की ग़ैर मौजूदगी में उस की हिफ़ाज़त करता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का यह भी इर्शाद है कि–

”لا یومن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه“

(बुख़ारी, भाग–१, पेज १४)

तुम में कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ न पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता है।

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुस्लिम समाज के लोगों को तर्ग़ीब दी है कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की ख़िद्मत करें और इसी तरह् एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करें। हज़रत जाबिर (रज़ि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से एक हदीस नक़्ल करते हैं कि जिस में है कि–

”من کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته“

(मुस्लिम, भाग–४, पेज १६६६)

जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में मशग़ूल रहता है तो अल्लाह भी उस की ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी उम्मत को इस बात की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है कि लोगों को नफ़ा पहुँचाया जाए उन के दिलों में ख़ुशी पैदा की जाए और उन की तंगी दूर की जाए और आप (सल्ल०) ने ऐसे काम करने वाले लोगों को उन ख़ुशनसीबों से शुमार किया है जो लोगों में सब से ज़्यादा महबूब हैं। जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया–

”احب الناس إلی الله تعالی أنفعهم للناس، وأحب الاعمال إلی الله عزوجل،
سرور يد خله علی مسلم، أویکشف عنه کربه“ (तबरानी, भाग–१२, पेज ८५३)

अल्लाह तआ़ला को सब से ज़्यादा महबूब वह शख़्स है जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख़्श है और अल्लाह तआ़ला को सब से ज़्यादा महबूब अ़मल यह है कि एक मुसलमान को ख़ुश रखा जाए या उस की तंगी को दूर किया जाए। इस में कोई शक नहीं है कि यतीम होना सब से बड़ी मुसीबत है, जब कि उस की हिफ़ाज़त व निगरानी और किफ़ालत न की जाए तो उस के कमज़ोर होने और उस को नुक़्सान पहुँचने और उस के ज़ाया होने का ख़त्रा है।

यतीम की परवरिश के फ़ायदे

१– रसलुल्लाह (सल्ल०) के साथ जन्नत में होना, यह बात इ़ज़्ज़त और फ़ख़्र के लिए काफ़ी है।

२– यतीम की किफ़ालत ऐसा सद्क़ः है जिस का अज्र दो गुना है, अगर वह क़रीबी रिश्तेदारों पर हो (तो सद्क़े का अज्र और क़राबतदारी का अज्र।)

३– यतीम की किफ़ालत और उस पर ख़र्च करना अच्छी सोच और अच्छी फ़ितरत की बात है।

४– यतीम की किफ़ालत और उस के सर पर हाथ फेरना और उस की दिलदारी करना, दिल को नर्म करता है और दिल की सख़्ती को दूर करता है।

५- यतीम की परवरिश दुनिया में भी परवरिश करने वाले के लिए उ़मूमी ख़ैर का ज़रिया है और आख़िरत में तो है ही।

६- यतीम की किफ़ालत एक अच्छे समाज की तअ़मीर में हिस्सा लेना है, जो समाज कीना व बुग्ज़ और कराहियत से ख़ाली हो और उस में मुह़ब्बत की रुह़ फूँकना है।

७- यतीम के इ़ज़्ज़त में और उस की निगेहदाश्त में उस शख़्स की इ़ज़्ज़त है जिस ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ सिफ़्त यतीमी में शिर्कत की और यह उस की नबी (सल्ल०) से मुह़ब्बत की दलील है।

८- यतीम की किफ़ालत माल को साफ़ करती है, उस को पाक करती है और उस को मुसलमान के लिए अच्छा बनाती है।

९- यतीम की परवरिश उन अच्छे अख़्लाक़ में से है जिन का इस्लाम ने इक़्रार किया और जिन की तअ़रीफ़ की है।

१०- यतीम की किफ़ालत औ़रत की भलाई पर है जब कि उस का शौहर मर चुका हो, फिर वह अपनी औलाद की परवरिश करे, उस के दुनिया की भलाई पर और उस के जन्नत में कामियाबी पर और आख़िरत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ होने पर दलील है।

११- यतीम की परवरिश में बरकत है, जो परवरिश करने वाले पर होती है और उस के रिज़्क़ का ज़रिया बनती है।

मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी द्वारा लिखित पुस्तकें

नाम		भाषा	मूल्य
1. क़ुर्आन का पैग़ाम *(क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)*	साइज़ 20x30/8	हिन्दी	200 रू.
2. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	साइज़ 20x30/16	हिन्दी	140 रू.
3. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)	साइज़-20x30/32	हिन्दी	75 रू.
4. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)		हिन्दी	100 रू.
5. तफ़्सीर फ़ारूक़ी *(क़ुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० १ से ५ तक)*		हिन्दी	300 रू
6. इस्लाम धर्म क्या है? *(क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में*		हिन्दी	110 रू.
7. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम		हिन्दी	110 रू.
8. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन		हिन्दी	60 रू.
9. अन्तिम सन्देष्टा कब कहाँ और कौन	Hard Bound	हिन्दी	110 रू.
10. अन्तिम सन्देष्टा कब कहाँ और कौन	Paper Bound	हिन्दी	90 रू.
11. जन्नत के ह़ालात और जन्नती (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)		हिन्दी	60 रू.
12. कुफ़्र और शिर्क की ह़क़ीक़त		हिन्दी	60 रू.
13. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें		हिन्दी	60 रू.
14. सह़ाबा का इस्लाम और उसके बाद		हिन्दी	50 रू.
15. अज़ान क्या है?		हिन्दी	20 रू.
16. आओ नमाज़ की ओर		हिन्दी	32 रू.
17. रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल *(क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)*		हिन्दी	30 रू.
18. ह़ज और उ़मरा का आसान तरीक़ा *(क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)*		हिन्दी	20 रू.
19. ज़कात का हुक्म और उसके मसायल *(क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)*		हिन्दी	30 रू.
20. आपके सवालों का आसान ह़ल (भाग एक)		हिन्दी	30 रू.
21. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअ़वीज़,गंडे *(शरीअ़त की रोशनी मै)*		हिन्दी	20 रू.
22. इस्लाम की बुनियादी मालूमात *(सवाल व जवाब की रोशनी में)*		हिन्दी	35 रू.
23. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सीरत *(सवाल व जवाब की रोशनी में)*		हिन्दी	30 रू.
24. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पाकीज़ह ज़िन्दगी		हिन्दी	30 रू.
25. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन		हिन्दी	90 रू
26. सूर-ए- फ़ातिह़ा की तफ़्सीर		हिन्दी	30 रू.
27. तौह़ीद की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)		हिन्दी	30 रू.
28. पवित्र क़ुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम		हिन्दी	30 रू.
29. इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से		हिन्दी	40 रू.
30. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल *(शरीअ़त की रोशनी में)*		हिन्दी	15 रू.
31. अल्लाह के प्यारे नबी (सल्ल०) एक नज़र में		हिन्दी	15 रू.
32. इस्लाम?		हिन्दी	05 रू.
33. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?		उर्दू	90 रू.
34. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) और जज़ीरे अ़रब		उर्दू	30 रू.
35. ग़ैर मुस्लिमों से तअ़ल्लुक़ात और मज़हबी आज़ादी		उर्दू	30 रू.
36. इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख़्तियारात		उर्दू	25 रू.
37. क़ुर्आन के मिसाली नमूने और लाज़वाल मोअ़जिज़ा		उर्दू	30 रू.
38. क़ुर्आन में इन्सान का मक़ाम		उर्दू	30 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
39. आ़माल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत	उर्दू	30 रू.
40. इस्लामी क़ानून विरासत और मीरास की तक़्सीम	उर्दू	30 रू.
41. उम्मते मुह़म्मदिया की इ़ज़्ज़त का मेयार और मीरास की तक़्सीम	उर्दू	30 रू.
42. इस्लाम में ग़ैर मुस्लिमों के हु़कूक़	उर्दू	40 रू.
43. हिन्दू धर्म, फ़िर्क़े तन्ज़ीमें और इदारों का तआ़रूफ़	उर्दू	70 रू.
44. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का ज़िक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में।	उर्दू	20 रू.
45. ग़ैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअ़वत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में	उर्दू	60 रू.
46. क़ियामत तक के फ़ित्नें की {रसूल (सल्ल०) की पेशीनगोई की रोशनी में}	उर्दू	55 रू.
47. तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)	उर्दू	30 रू.
48. अल्लाह की तरफ़ से रिज़्क़ की तक़्सीम और कमज़ोर तब्क़े की किफ़ालत	उर्दू	30 रू.
49. क़ुर्आन के मुताबिक़ दौलत का इस्तेमाल	उर्दू	60 रू.
50. ज़कात और मसारिफ़े ज़कात *(क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)*	उर्दू	15 रू.
51. रसलुल्लाह (सल्ल०) की मुख़्तसर सीरत *(मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में)*	उर्दू	20 रू.
52. रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत के अनमोल मोती	उर्दू	18 रू.
53. रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें	उर्दू	55 रू.
54. दाढ़ी की अहमियत (शरीअ़त की रोशनी में)	उर्दू	30 रू.
55. मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीख़ी जायज़ा	उर्दू	30 रू.
56. रोज़ः, तरावीह़, सद्क़ः और एतिकाफ़ के एह़काम व मसायल *(शरीअ़त की रोशनी में)*	उर्दू	30 रू.
57. ह़ज और उ़मरा का मुकम्मल तरीक़ा *(शरीअ़त की रोशनी में)*	उर्दू	30 रू.
58. इस्लामी क्विज़ (सवाल व जवाब की रोशनी में)	उर्दू	35 रू.
59. तफ़्सीर का बुनियादी मअ़ख़ज़ और मुफ़स्सिर की ख़ुसूसियत	उर्दू	20 रू.
60. हिन्दुस्तान में क़ुर्आन के तर्जुमे व तफ़ासीर का मुख़्तसर तआ़र्रुफ़	उर्दू	20 रू.
61. इस्लामी मआ़शियात का तक़ाबुली जायज़ा	उर्दू	20 रू.
62. इस्लाम का ज़रई निज़ाम	उर्दू	40 रू.
63. दौलत की पैदाईश और अद्‌याते क़ुदरत	उर्दू	30 रू.
64. मुसलमानों के फ़िर्क़े और उनके अ़क़ायद	उर्दू	60 रू.
65. ह़राम, ह़लाल और मुबाह चीज़ें	उर्दू	20 रू.
66. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अक़ाइदोहा, मुनज़्ज़िमातुहा व अहदाफ़ुहा	अ़रबी	40 रू.
67. ज़िक्र मुह़म्मदिन (सल्ल०) फ़िल् वेद	अ़रबी	30 रू.
68. मुह़म्मद दी लास्ट प्रोफ़ेट अन्डर दी शेड ऑफ़ वेद, उपनिषद एण्ड पुराण	अंग्रेज़ी	40 रू.
69. मुह़म्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ़ वरशिप	अंग्रेज़ी	30 रू.
70. बेसिक टीचिंग आफ़ इस्लाम	अंग्रेज़ी	60 रू.
71. दी स्वॉड ऑफ़ इस्लाम	अंग्रेज़ी	30 रू.
72. अज़ान, ए कालिंग फ़ॉर ह्यूमेनिटी	अंग्रेज़ी	20 रू.
73. इस्लाम?	अंग्रेज़ी	07 रू.

हिन्दी में मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी की अनुवाद की हुई पुस्तकें

74. मुन्तख़ब अह़ादीस (लेखक- ह़ज़रत मौलाना मुह़म्मद यूसुफ़ कान्धलवी रह०)	(हिन्दी)	60 रू.
75. क़ादियानियत नुबूवते मुह़म्मदी के ख़िलाफ बग़ावत (लेखक- इमामे ह़रम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यिल)	(हिन्दी)	10 रू.

नाम	भाषा	मूल्य
76. अक़ीदतुल् वास्तिया (लेखक- अह़मद बिन अ़ब्दुल ह़लीम इब्ने तैमिया रह़०)	(हिन्दी)	40 रू.
77. सलासिले अरबअ़ (लेखक- ह़ज़रत मौलाना सैय्यद अबुल ह़सन अ़ली नदवी रह़०)	(हिन्दी)	15 रू.
78. दारे अरक़म का एह़सान इन्सानी दुनिया के नाम (लेखक- ह़ज़रत मौलाना सैय्यद अबुल ह़सन अ़ली नदवी रह़०)	(हिन्दी)	20 रू.
79. मानवता आज भी उसी की चौखट की मुहताज़ है (लेखक- मौलाना मुह़म्मद ह़सनी रह़०)	(हिन्दी)	20 रू.
80. यक्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार *(लेखक- मौलाना मुह़म्मद राबेअ़ ह़सनी नदवी)*	(हिन्दी)	20 रू.
81. मालिक व मख़्लूक़ श्रेष्ठ कौन? *(विचारक- मुहम्मद मुस्तफ़ा क़ादरी)* *(तस्ह़ीह़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी)*	(हिन्दी)	20 रू.
82. यतीमों की किफ़ालत *(लेखक- मुहम्मद आमिर सिद्दीक़ी नदवी)* *(तर्जुमः- मु० मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी)*	(हिन्दी)	20 रू.

Literary Works By Mufti Mohd Sarwar Farooqui

Book's Name	*Language*	*Rs.*
1. Quraan ka Paigham (Asan Hindi Tarjuma) Size 20x30/8	Hindi	200/-
2. Quraan ka Paigham (Asan Hindi Tarjuma) Size 20x30/16	Hindi	140/-
3. Quraan ka Paigham (Asan Hindi Tarjuma) Size-20x30/32	Hindi	75/-
4. Tafseer Farooqui *(Translation & Commentry of Para Amm)*	Hindi	100/-
5. Tafseer Farooqui *(Quraan Majeed ki Hindi Tafseer)*	Hindi	300/-
6. Islam Dharm kya Hai? *(Qubule Haque ke Baad Islami Course)*	Hindi	110/-
7. Jihad, Atankwaad Aur Islam	Hindi	110/-
8. Hindi Patrkarita Aur Media lekhan	Hindi	60/-
9. Antim Sandeshta Kab, Kahan, aur Kaun Hard Bound	Hindi	110/-
10. Antim Sandeshta Kab, Kahan, aur Kaun Paper Bound	Hindi	90/-
11. Jannat Ke Halat Aur Jannati *(Quraan Aur Sunnat ki Roshni mein)*	Hindi	60/-
12. Kufr Aur Shirk ki Haqeeqat	Hindi	60/
13. Rasulullah (SAW) ka Huliya Mubarak aur Aap (SAW) ki Sunnten	Hindi	60/-
14. Sahaba ka Islam Aur Uske Baad	Hindi	50/-
15. Azan Kya Hai?	Hindi	20/-
16. Aao Namaz ki Our	Hindi	32/-
17. Roze ka Huqm Aur Uskay Masail	Hindi	30/-
18. Haj wa Umra ka Aasaan Tariqua	Hindi	20/-
19. Zakat ka Hukm Aur Uskay Masail	Hindi	30/-
20. Apke Sawalon ka Asan Hal (Part-1)	Hindi	30/-
21. Jhaad, Phook, Jadoo, Tona Aur Taweez Gande *(Shariat ki Roshni Mein)*	Hindi	20/-
22. Islam ki Buniyadi Maloomat *(Sawal Wa Jawab ki Roshni Mein)*	Hindi	35/-
23. Rasoolullah *(SAW)* ki Seerat *(Sawal Wa Jawab ki Roshni Mein)*	Hindi	30/-
24. Rasoolullah *(SAW)* ki Pakiza Zindagi	Hindi	30/-
25. Adhunik Hindi Vyakran Aur Media Lekhan	Hindi	90/-
26. Sooreh Fatiha ki Tafseer	Hindi	30/-
27. Tauheed Ki Haqeeqat *(QuranWa Sunnat ki Roshni Mein)*	Hindi	30/-
28. Pavitra Quraan ka Sandaish, Insani Duniyan ke Naam	Hindi	30/-
29. Islam Dharm Talwar Se Phiali Ya Sadachar Se	Hindi	40/-
30. Mobial Se Sambandhit Masail *(Shrait ki Roshni Mein)*	Hindi	15/-
31. Allah Ke Pyare Nabi *(Saw)* Ek Nazar Mein	Hindi	15/-
32. Islam?	Hindi	05/-
33. Akhri Rasool Kahan, Kab Aur Kaun	Urdu	90/-

Book's Name	*Language*	*Rs.*
34. Hazrat Muhammad (Saw) Aur Jazeeray Arab	Urdu	30/-
35. Gair Muslimoon Se Talluqat Aur mazhabi Azadi	Urdu	30/-
36. Islam Mein Jizya, Khiraj Aur Zimmiyou ke Aktiyarat	Urdu	25/-
37. Quran ke misali Namooney Aur Lazawal Mojizah	Urdu	30/-
38. Quran mein Insan ka Maqam Aur Us ka Aala Maqsad	Urdu	30/-
39. Amaal ko Batil karne wali Cheezeh Aur Niyat ki Ahmiyat	Urdu	30/-
40. Islami Qanoon Virasat Our Meeras ki Taqseem	Urdu	30/-
41. Ummate Muhammdia ki Izzat ka Meyar Our Bani Israeil	Urdu	30/-
42. Islam Mein Gair Muslimoon ke Huquq	Urdu	40/-
43. Hindu Dharm, Firke, Tanzeemun aur Idaron ka Taaruf	Urdu	70/-
44. Hazrat Muhammad (SAW) ka Zikr aur Murtipuja ki Mumaniyat Vaidon ki Duniya mein	Urdu	20/-
45. Ghair Muslimon mein Trique Dawat Uslube Ambiya ki Roshni mein	Urdu	60/-
46. Qiyamat tak ke Fitne *(Rasool Saw ki Peshangoin ki Roshni Mein)*	Urdu	55/-
47. Talaq ka Islami Tareeqah *(Quran Aur Sunnat ki Roshni Mein)*	Urdu	40/-
48. Allah ki Taraf se Rizq ki Taqseem *(Aur Kamzor Tabke ki kifalat)*	Urdu	35/
49. Quran ke Mutabik Daulat ka Istemal	Urdu	60/-
50. Zakat Aur Masarif-e-Zakat (Shariat ki Roshni Mein))	Urdu	15/-
51. Rasoolullah ki Muqhtasar Seerat *(Mustanad kutub seerat ki Roshni Mein)*	Urdu	20/-
52. Rasoolullah *(SAW)* ki Seerat Ke Anmol Moti	Urdu	18/-
53. Rasulullah *(SAW)* ka Huliya Mubarak aur Aap *(SAW)* ki Sunnten	Urdu	55/-
54. Dhadhi ki Ahmiyat *(Shriat ki Roshni Mein)*	Urdu	20/-
55. Madaris–e–Islamia ke Nisab ka Tariqhi Jayza	Urdu	18/-
56. Roza, Taraveeh, Sadqa Aur Etikaf ke Ahkam Wa Masail	Urdu	30/-
57. Haj Aur Umra ka Mukammal Tareeqa	Urdu	15/-
58. Islami Quiz *(Sawal Wa Jawab ki Roshni Mein)*	Urdu	35/-
59. Tafseer ka Buniyadi Makhaz	Urdu	20/-
60. Hindustan mein Quran ke tarjume wa tafaseer ka Mukhtasar Taruf	Urdu	20/-
61. Islami Mashiyat ka taqabuli jayza	Urdu	20/-
62. Tafseer ka Buniyadi Makhaz Aur Mufassir ki Khusisyat	Urdu	40/-
63. Daulat ki paidaish Aur Adyane Qudrat	Urdu	30/-
64. Musalmoon ke firqe Aur Unke Aqaid	Urdu	60/-
65. Haram, Halal Aur Mibah Cheezein	Urdu	20/-
66. Alhindusiya, Mabadioha wa Aquaiduha, Munazzimatuha wa Ahdafuha	Arbi	40/-
67. Zikr Muhammadin *(SAW)* Fil Almil ifyad wa Mustankarul wasuniyatofiha	Arbi	30/-
68. Muhammad the last Under the shade of Veda, Upnishad & Puran	English	40/-
69. Muhammad (Saw) & Status of Worship	English	30/-
70. Basic Teaching of Islam	English	60/-
71. The Sword of Islam	English	30/-
72. Azan, A Calling for Humanity	English	20/-
73. Islam?	English	07/-
74. Muntakhab Ahadees *(Writer:- Hazrat Maulana Muhammad Yusuf kandhalwi Rah)*	Hindi	60/-
75.Quadiyaaniat Nuboowat ke Khilaf Baghawat *(Writer:- Imam-e-Haram Abdullah Assubayil Sb.)*	Hindi	10/-
76. Aqeedatul Vastia *(Writer: -Ahmad bin Haleem Ibne Taimiya (Rah)*	Hindi	40/-
77. Salasile Arbaw *(Writer: - Maulana Abul Hasan Ali Nadwi)*	Hindi	15/-
78. Dar-e-Arqum ka Ahsan Insani Dunya Par *(Writer: - Maulana Abul Hasan Ali HasaniNadwi)*	Hindi	20/-
79. Maanawta Aaj Bhi Usi Chaukhat ki Muhtaaj Hai *(Writer: - Maulana Muhammad Hasani)*	Hindi	20/-
80. Yaksa Civil coad Aur Mahilaou ke Adhikar *(Writer: - Maulana Rabey Hasni Nadwi)*	Hindi	20/-
81. Malik Wa Makhlooq Shresth Kaun? *(Vicharak: - Mohd Mustafa Qadri) (Tasheeh wa Tarteeb: - Mufti Mohd Sarwar Farooqui Nadwi)*	Hindi	20/-
82. Yateemoon ki kifalat *(Writer: - Mohd Aamir Siddique Nadwi) (Translated: - Mufti Mohd Sarwar Farooqui Nadwi)*	Hindi	20/-

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

क़ुर्आन का पैग़ाम

क़ुर्आन का आसान हिन्दी अनुवाद

सन्देश

इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान
मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मियाँ) (रह०)

अनुवाद–

मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

प्रकाशक–

मकतबः पयामे अम्न

टैगोर मार्ग,डालीगंज,लखनऊ–20 (यू०पी०) इण्डिया